न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/12/2024 रजू दिनांकः 02.05.2024 रजि0 न0 2024/38

अपीलार्थीः– बनाम प्रत्यर्थीः–

श्री मानसिंह सैनी पुत्र श्री गंगाधर सैनी, निवासी वार्ड नं0–9, समूँची रेलवे फाटक के पास, खेरली तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

::निर्णय ::–

दिनांकः– 05.06.2024

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्व परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांक 05.02.2024 के माध्यम से प्रत्यर्थी के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर मय जवाब तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से दि0 16.05.2024 को जवाब जरिये पत्रांक 221 दिनांक 29.05.2024 आया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन में वांछित सूचना पत्रांक 132 दि0 01.05.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए मात्र न्यायालय हाजा को प्रतिलिपि पत्र पेश किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में कोई स्पष्ट जवाब न्यायालय को पेश नहीं किया गया है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित जवाब प्रथम अपील प्रस्तुत होने के पश्चात पेश किया गया है, जो काफी विलम्ब से और अधिनियमों के प्रावधानों के विपरित है। फिर भी नरमी का रूख अपनाते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दि0 29.05.2024 के माध्यम से वांछित सूचना के संबंध में किया गया विनिश्चय उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय–पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांक 05.06.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)